

बिहार सरकार
राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग

संकल्प

सं०-15/आरोप ट्रेप (मधुबनी) 02-70/2025-

(15)/रा०, पटना-15, दिनांक-

समाहर्ता, मधुबनी के पत्रांक-13288 दिनांक-08.07.2025 से प्राप्त सूचनानुसार श्री अभय कुमार, तत्कालीन अंचल अधिकारी, रहिका, मधुबनी को दिनांक-02.07.2025 को निगरानी टीम द्वारा रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार किये जाने के कारण निगरानी अन्वेषण ब्यूरो, बिहार, पटना के द्वारा प्रेस विज्ञप्ति सं०-68/2025 जारी की गई, जिसमें निगरानी थाना कांड सं०-47/2025 के तहत कार्रवाई करते हुए दिनांक-02.07.2025 को 17,000/- (सतरह हजार) रुपये मात्र रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार करने की विज्ञप्ति प्रकाशित की गयी।

2. समाहर्ता, मधुबनी से प्राप्त सूचना की गंभीरता के आलोक में अनुशासनिक प्राधिकार द्वारा विभागीय संकल्प सं०-1262(15) दिनांक-17.07.2025 द्वारा श्री कुमार को गिरफ्तार किये जाने की तिथि-02.07.2025 के प्रभाव से निलंबित करते हुए इनका मुख्यालय-आयुक्त का कार्यालय, दरभंगा प्रमंडल, दरभंगा निर्धारित किया गया। साथ ही हिरासत से मुक्त होने के उपरान्त योगदान समर्पित करने हेतु निदेशित किया गया।

3. समाहर्ता, मधुबनी के पत्रांक-158 दिनांक-27.02.2026 से श्री कुमार के विरुद्ध आरोप पत्र गठित कर विभाग को उपलब्ध कराया गया। प्राप्त आरोप पत्र को विभाग स्तर से पुर्नगठित करते हुए विभागीय पत्रांक-765(15) दिनांक-09.06.2026 से बचाव का लिखित अभिकथन/स्पष्टीकरण की मांग की गयी, जिसके आलोक में श्री कुमार द्वारा दिनांक-27.06.2026 से अपना बचाव का लिखित अभिकथन/स्पष्टीकरण विभाग में समर्पित किया गया। आरोप पत्र में प्रतिवेदित आरोपों एवं आरोपी से प्राप्त स्पष्टीकरण के समीक्षोपरान्त अनुशासनिक प्राधिकार द्वारा आरोपों की गंभीरता को देखते हुए इसकी वृहद जाँच की आवश्यकता पायी गयी।

4. अतएव अनुशासनिक प्राधिकार के निर्णयानुसार श्री कुमार के विरुद्ध गठित आरोप पत्र में अंकित आरोपों की विस्तृत जाँच हेतु बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 (समय-समय पर यथा संशोधित) के नियम-17(2) के प्रावधानों के तहत अनुशासनिक कार्यवाही संचालित की जाती है।

5. इस अनुशासनिक कार्यवाही के संचालन हेतु अपर समाहर्ता (विभागीय जाँच), मधुबनी को संचालन पदाधिकारी तथा जाँच/संचालन पदाधिकारी के समक्ष पक्ष प्रस्तुत करने हेतु भूमि सुधार उप समाहर्ता, मधुबनी सदर को उपस्थापन/प्रस्तुतीकरण पदाधिकारी नियुक्त किया जाता है।

6. श्री कुमार से अपेक्षा की जाती है कि वे अपने बचाव के सम्बन्ध में अपना पक्ष रखने हेतु, जैसा कि संचालन पदाधिकारी अनुमति दे, स्वयं उपस्थित रहेंगे।

आदेश:- आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की प्रति समाहर्ता, मधुबनी/अपर समाहर्ता (विभागीय जाँच), मधुबनी/भूमि सुधार उप समाहर्ता, मधुबनी सदर/श्री अभय कुमार, तत्कालीन अंचल अधिकारी, रहिका, मधुबनी सम्प्रति निलंबित मुख्यालय-आयुक्त का कार्यालय, दरभंगा प्रमंडल, दरभंगा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ भेज दी जाए।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

ह०/-

(अरविन्द कुमार),

सरकार के अवर सचिव।

स्पीड-पोस्ट
ई-मेल

ज्ञापांक-15/आरोप ट्रैप (मधुबनी) 02-70/2025-.....(15)/रा0, पटना-15, दिनांक-.....
प्रतिलिपि:- समाहर्ता, मधुबनी/भूमि सुधार उप समाहर्ता, मधुबनी सदर/श्री अभय कुमार,
तत्कालीन अंचल अधिकारी, रहिका, मधुबनी सम्प्रति निलंबित मुख्यालय- आयुक्त का कार्यालय,
दरभंगा प्रमंडल, दरभंगा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

ह0/-
(अरविन्द कुमार),
सरकार के अवर सचिव।

स्पीड-पोस्ट

ज्ञापांक-15/आरोप ट्रैप (मधुबनी) 02-70/2025-.....(15)/रा0, पटना-15, दिनांक-.....
प्रतिलिपि:- अपर समाहर्ता (विभागीय जाँच), मधुबनी को अभिलेख की प्रति के साथ
सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

2. निदेशित किया जाता है कि विभागीय कार्यवाही अविलम्ब प्रारम्भ करते हुए
ससमय जाँच प्रतिवेदन मंतव्य सहित तीन प्रतियों में उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया जाए।

अनु0- आरोप पत्र साक्ष्य सहित एवं स्पष्टीकरण की छायाप्रति।

ह0/-
(अरविन्द कुमार),
सरकार के अवर सचिव।

ज्ञापांक-15/आरोप ट्रैप (मधुबनी) 02-70/2025-.....1730.....(15)/रा0, पटना-15, दिनांक-.....29/9/26
प्रतिलिपि:- माननीय विभागीय मंत्री के आप्त सचिव/सचिव के प्रधान आप्त सचिव/कनीय
प्रभारी पदाधिकारी, प्रशाखा-3/प्रभारी पदाधिकारी, वित्त (वै0दा0नि0को0) विभाग, बिहार, पटना (मूल
प्रति में)/आई0टी0 मैनेजर (विभागीय वेबसाइट पर प्रकाशनार्थ), राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग,
बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।


(अरविन्द कुमार),
सरकार के अवर सचिव।